



Neutral Citation No. - 2026:AHC:52325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1068/2026

कय्यूम हुसैन एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्म वीर जायसवाल, हर्ष विक्रम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता (सी.एस.सी.), सौरभ तिवारी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्म वीर जायसवाल, प्रत्यर्थी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ तिवारी और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(i). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष लंबित द्वितीय अपील संख्या 4658/2024 (कय्यूम एवं अन्य बनाम अली अहमद एवं अन्य) में या उसके साथ संलग्न स्थगन आवेदन दिनांक 4/11/2024 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर तय करने का आदेश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत वाद से उत्पन्न उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 4658/2024 दिनांक 12.11.2024 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से न तो द्वितीय अपील को स्वीकार किया गया है और न ही कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि लंबित द्वितीय अपील और स्थगन आवेदन के समयबद्ध निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने लंबित कार्यवाही की स्थिति की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वाद का निस्तारण शीघ्रता से नहीं

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि वाद के लंबित रहने के दौरान, अवर न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, कानून के अनुसार उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 4658/2024 को प्रवेश के लिए विचार करे और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर यथाशीघ्र उचित आदेश पारित करे। अंतरिम राहत की प्रार्थना द्वितीय अपील के प्रवेश पर पारित आदेश के अधीन होगी।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"